Retaining of services of agents or consultants in Pepsi-Co Deal

1835. SHRI DHULESHWAR MEENA Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Pepsi Co and Punjab Agro retained the services of agents or consultants to help process the application for soft drink manufacture,

(b) if so, the names of agents or consultants retained,

(c) whether it is mandatory to state in the application whether any consultants have been employed domestically or overseas by Pepsi Co or Tatas for purposes of this project; and

(d) if not, whether Government are aware of the break up of all fees to be paid by all partners including Punjab Agro to persons outside the companies themselves?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) According to the information furnished by Pubjab Agro Industries Corporation (PAICO), no agents or consultants were engaged in India to help process the applications for soft drink manufacture by PAICO. To the best of the knowledge of PAICO, PEPSICO has never retained any such consultant.

(b) to (d) Do not arise in view of (a) above.

Former Managing Directors and Chairmen of F.C.I. facing CBI Enquiries

1836. DR RATNAKAR PANDEY Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the particulars of the former Managing Directors and Chairmen of the Food Corporation of India against whom CBI have instituted inquires for frauds etc during the last three years, year-wise; and

(b) the details of each enquiry and follow up action taken in each case?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D L. BAITHA) (a) and (b) The information is being collected and would be laid on the Table of the Sabha.

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्वरोज़गार योजना

1837 **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित उन स्वरोजगार योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें उत्तर प्रदेश और हरियाणा में शुरू किया गया है;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बेरोज़गार युवकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता राशि दी गई, और

(ग) क्या इन योजनाओ के अन्तर्गत बेरोज़गार युवकों को सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राधा कृष्ण मालवीय) (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय /राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित/कार्यान्वित योजना का ब्यौरा निम्न प्रकार है.

I. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, कुक्कुट-पालन आदि के क्षेत्र के कार्यों को अपनाने वाले गरीबी की रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों की सहायता करना है। इस योजना के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 अनुपात के आधार पर धनराशि प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता की सीमा किसानों के लिए 25 प्रतिशत, सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों और दस्तकारों के लिए 33.3 प्रतिशत और आदिवासी परिवारो के लिए 50 प्रतिशत है। आर्थिक सहायता की सीमा 3000/- रु. से 5000/- रु के बीच है। 1988-89 में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कुल केन्द्रीय आबंटन क्रमश 13186 37 लाख रुपए और 691 08 लाख रुपए था।

इस कार्यक्रम के दो अन्य अग है यथा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम) और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी डब्ल्यू सी आर ए)।

ट्राइसेम एक ऐसी योजना है, जिसके माध्यम से स्वरोज़गार अपनाने के लिए ग्रामीण युवकों के तकनीकी कौशल में सुधार लाया जाता है। प्रशिक्षण के लिए किया गया व्यय आई० आर० डी०पी० के लिए निर्धारित धनराशि में से पूरा किया जाता है, जिसमें मुफ्त किट् के अलावा छ. माह की प्रशिक्षण अवधि के दौरान 100/- रु से 250/- रु प्रतिमाह के बीच वृत्तिका पर किया गया व्यय शामिल है

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास कार्यक्रम (डी डब्ल्यू सी आर ए) के अन्तर्गत महिलाओ को आय में वृद्धि करने वाले कार्य उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रत्येक महिला ग्रुप को 15000/- रु का एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे भारत सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ द्वारा बराबर-2 वहन किया जाता है। ये सभी योजनाए उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित सभी राज्यो पर लागू हैं।

II. शिक्षित बेरोज़गार युवकों को स्वरोज़गार प्रदान करने संबंधी योजना

इस कार्यक्रम के अतर्गत 10 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरो में 18-35 वर्ष की आयु के बीच के मैट्रिक और उच्च शिक्षा प्राप्त युवक शामिल हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 10,000/- रु. से ज्यादा नहीं है। कार्यों के आधार पर 15,000 से 35,000 रु तक मीश्रत ऋण प्रदान किया जाता है जिसमें 25 प्रतिशत सहायता अनुदान है। यह योजना जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है इसकी वित्तीय व्यवस्था पूर्णरूप से केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

यह योजना उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित सभी राज्यों पर लागू है। वर्ष 1987-88 के दौरान उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए स्वीकृत की गई धन-राशि क्रमश: 3166.66 लाख रुपए तथा 5000 64 लाख रुपए थी।

III. शहरी गरीब व्यक्तियों के लिये स्व: रोज़गार कार्यक्रम (सेपए)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वे शहर शामिल हैं जिनकी आबादी 10 000 से अधिक है और जो आई आर डी पी के अन्तर्गत नहीं आते हैं । ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल पारिवारिक आय 500/-प्रति माह से अधिक नहीं है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिये पात्र हैं। ऋण प्राप्त करने वाला 10 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज पर 5000/-रु० के अधिकतम ऋण के लिये पात्र है । 25 प्रतिशत की दर से पूजीगत आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है और राज्यवार कोई आवंटन नहीं किए जाते हैं। इस योजना में उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा सहित सभी राज्य शामिल हैं। इसके अलावा यह योजना चुने हुए जिला में स्वोज़गार को प्रोत्साहन देने के लिये रोज़गार कार्यालयो/विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों को सुदृढ करने के लिये कार्यान्वित की जा रही है ताकि बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिये प्रेरित किया जा सके तथा सहायता दी जा सके। यह योजना देश के 30 चुने हुए जिलों जिनमे तीन जिले उत्तर प्रदेश के शामिल हैं, लागू है। परन्तु इन चुने हुए जिलों में हरियाणा का कोई जिला नहीं है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उद्यमकारिता विकास (एस०टी०ई-डी०) संबंधी एक अन्य योजना भी कार्यान्वित की जा रही है ताकि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की धारा से सबधित भावी उद्यमकर्ताओं को समेकित सूचना एवं मार्गदर्शन दिया जा सके । यह योजना उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित चुने हुए राज्यों में लागू है । इन दो योजनाओं के अन्तर्गत केवल सस्थागत समर्थन प्रदान किया जाता है और बेरोजगार युवाओं को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है ।